

:: कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ::

क्रमांक : शिविरा/माध्य/सतर्कता/ए/तालाबंदी-1/2019-20

दिनांक : 02/07/20

समस्त संयुक्त निदेशक,
समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा


विषय :- विद्यालयों में तालाबंदी के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विगत वर्षों में विभाग द्वारा समस्त विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने हेतु प्रयास किये गये हैं। इससे विद्यालयों में रिक्त पदों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है। विभाग के किसी भी विद्यालय में तालाबंदी न हो इस हेतु निम्नांकित निर्देश जारी किये जाते हैं:-

- समस्त मंडल संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा तालाबंदी हेतु सजग रहें तथा परिक्षेत्र के विद्यालयों में तालाबंदी रोकने हेतु विशेष प्रयास करें। ये अपने कार्यालय में तालाबंदी हेतु कंट्रोल रूम की स्थापना करें तथा अपने परिक्षेत्र में होने वाली तालाबंदी की सूचना प्रातः 9 बजे तथा दोपहर 2 बजे तक निदेशालय स्थित कंट्रोल रूम को समेकित कर ई-मेल पर ad.viggi.dse@rajasthan.gov.in आवश्यक रूप से दें।
- जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा अपने जिले में ऐसे संवेदनशील विद्यालयों को चिन्हित करें तथा इस प्रकार के विद्यालयों में तालाबंदी होने से रोकने के लिए पूर्व से ही प्रभावी प्रयास करना सुनिश्चित करें।
- जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय मा.शि. अपने कार्यालय में तालाबंदी हेतु कंट्रोल रूम की स्थापना करें तथा जिले में होने वाली तालाबंदी की सूचना प्रातः 8 बजे तथा दोपहर 1 बजे तक संबंधित मंडल संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा को दें। तालाबंदी होने की दशा में स्वयं या अपने कार्यालय के जिम्मेवार अधिकारी को मौके पर भिजवाकर तालाबंदी खुलवाना सुनिश्चित करें।
- समस्त संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि स्थानीय समुदाय के निरंतर संपर्क में रहते हुए निर्बाध विद्यालय संचालन की सुनिश्चितता करें, जिससे कि तालाबंदी जैसी अवांछित स्थितियां उत्पन्न न हों। उक्त बाबत किसी भी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न होने की स्थिति में संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्या.) मा.शि. को तत्काल अवगति प्रदान करते हुए अभिभावकों एवं एसडीएमसी सदस्यों को विभागीय नियमों एवं प्रावधानों की वस्तुस्थिति से अवगत करवाते हुए उनके सहयोग से तालाबंदी खुलवाने के लिए आवश्यक कदम उठाया जाना सुनिश्चित करें।
- तालाबंदी की स्थिति अथवा तालाबंदी की सूचना तत्काल अद्योहस्ताक्षरकर्ता/निदेशालय स्थित नियंत्रण कक्ष (मोबाईल नं. 9414092528, 8560004708, 9414365536) को नही देने की स्थिति में संबंधित संस्थाप्रधान को प्रशासनिक अक्षमता एवं राज्य कार्य के प्रति उदासीनता हेतु जिम्मेवारी निर्धारित कर विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी।

संलग्न-सूचना प्रारूप


www.rajteachers.com


(सौरभ स्वामी)
IAS

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर
दिनांक :- 02/07/20

क्रमांक-शिविरा/माध्य/सतर्कता/प्रभाग-ए/तालाबंदी-1/2019-20

- प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-
1. शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
 2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री राजस्थान सरकार जयपुर
 3. सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
 4. रक्षित पत्रावली।


निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

:: कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ::

कार्यालय आदेश

विभाग द्वारा सीधी भर्ती/पदोन्नति उपरांत बड़ी संख्या में काउन्सलिंग द्वारा विद्यालयों में विभिन्न पदों को भरने में गुणात्मक वृद्धि हुई है। अन्य पदों के लिये डीपीसी की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अतः विद्यालय में शिक्षकों की स्थिति में सुधार हुआ है। अधिकांश विद्यालयों में स्टाफ उपलब्ध कराया जा चुका है। फिर भी कतिपय विद्यालयों से तालाबंदी की सूचनाएँ प्राप्त होती रहती हैं। उक्त तालाबंदी की स्थिति नहीं आए इसके लिए निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं:-

1. तालाबंदी की स्थितियों को रोकथाम हेतु समस्त मंडल संयुक्त निदेशक तथा समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा कार्यालयों में नियंत्रण कक्ष स्थापित किये जाने हेतु पाबंद किया जाता है। इस संबंध में कार्यालय जिशिअ एवं संयुक्त निदेशक कार्मिकों के आदेश जारी कर इस कार्यालय को सूचित करेंगे।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाता है। जिसमें निम्नानुसार कार्मिकों को अपने कार्य के साथ उत्तरदायित्व दिया जाता है, जो प्रति दिवस रिपोर्ट उप निदेशक, माध्यमिक, कार्यालय हाजा को देंगे:-

क्रम सं.	नाम	विवि
1	श्री अरविन्द कुमार व्यास, सहायक निदेशक, सतर्कता अनुभाग	प्रभारी
2	श्री शिवकुमार सारस्वत, सहा.प्रशा.अधिकारी, सतर्कता अनुभाग	सहायक प्रभारी
3	श्री गोविन्द नारायण श्रीमाली, वरिष्ठ सहायक, सतर्कता अनुभाग	सहायक

3. प्रतिदिवस की सूचना प्रभारी नियंत्रण कक्ष द्वारा पंजिका में संधारित करवाई जाकर आवश्यक कार्यवाही करते हुए अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत की जावेगी। प्रतिदिवस की रिपोर्ट शासन को भी भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
4. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, मा.शि. एवं मंडल संयुक्त निदेशक अपने कार्यालय में ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होते ही तत्काल निदेशालय को वस्तुस्थिति की पूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। आवश्यकता होने पर स्वयं भ्रमण कर आवश्यक कार्यवाही करेंगे।
5. निदेशालय स्थित नियंत्रण कक्ष का मोबाईल नं. 9414092528, 8560004706, 9414365536 रहेगा। समस्त मंडल संयुक्त निदेशक अपने परिक्षेत्र की तालाबंदी की सूचना प्रातः 9 बजे तक दूरभाष पर देंगे तथा समस्त परिक्षेत्र की सूचना को **समेकित** कर ई-मेल ad.viggi.dse@rajasthan.gov.in पर दोपहर 2 बजे तक भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। सूचना नहीं प्राप्त होने की स्थिति में तालाबंदी संख्या शून्य निर्धारित की जावेगी। संस्था प्रधान का यह दायित्व है कि वह तालाबंदी के कारणों एवं परिस्थितियों का आकलन/निवारण पूर्व में कर ले जो तालाबंदी का कारण बन सकते हैं। तालाबंदी हेतु उत्तरदायी तथा तालाबंदी की सूचना समय पर उच्च अधिकारी तक नहीं पहुँचाने वाले कार्मिक/अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

www.rajteachers.com

(सौरभ स्वामी)

IAS

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

दिनांक:- 02/02/20

क्रमांक-शिविरा/माध्य/सतर्कता/प्रभाग-ए/तालाबंदी-1/2019-20

- प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
1. शासन सचिव, माध्यमिक राजस्थान, जयपुर।
 2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री राजस्थान सरकार, जयपुर।
 3. समस्त संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक/जिशिअ एवं अधिकारी कार्या.हाजा।
 4. सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
 5. रक्षित पत्रावली।

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

कार्यालय – जिशिअ(मु) / संयुक्त निदेशक(मंडल) माध्यमिक शिक्षा,

तालाबंदी की दैनिक सूचना दिनांक:- 02/07/20

क्र.सं.	जिला	ब्लॉक	विद्यालय का नाम	तालाबंदी का कारण	जिशिअ / संयुक्त निदेशक की टिप्पणी
1	2	3	4	5	6


(हस्ताक्षर मय मोहर)